

३८१-८०

५७१५ - ३०/०९/२०१३



एलपीजी वितरकों की नियुक्ति हेतु सूचना

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीजीएल) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीजीएल) का उत्तराखण्ड राज्य में निम्नलिखित विभिन्न श्रेणियों से संवित उम्मीदवारों से नीचे दिये स्थानों पर विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत एलपीजी वितरकों को नियुक्त करने का प्रस्ताव है:

क्र. सं.	ऑयल कम्पनी	स्थान	जिला	श्रेणी*	बाजार का प्रकार— शहरी(ग)/ शहरी—ग्रामीण (पुआर)/ ग्रामीण	प्रतिशूलि जमा राशि (लाख ₹ में)	विपणन योजना	ओबीसी (जीपी)	— रक्षा कार्मिक, केन्द्रीय/ राज्य सरकार के कर्मचारी एवं केन्द्रीय/ राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण के कर्मचारियों सहित सरकारी कार्मिक श्रेणी जो ओबीसी श्रेणी में आते हैं।
1	2	3	4	5	6	7	8	ओबीसी (सीसी)	— शारीरिक विकलांग (पीएच), उत्कृष्ट खिलाड़ी (ओएसपी) एवं स्वतंत्रता सेनानी (एफएफ) सहित संयुक्त श्रेणी जो ओबीसी श्रेणी में आते हैं।
1	बीपीजीएल	देहरादून (राजपुर रोड)	देहरादून	ओ	शहरी/ ग्रामीण	2.5	2013-14	1. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत आवेदन कर सकते हैं। व्यक्तिगत आवेदक के मामले में, नियुक्ति पर, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवेदक और उसके/उसकी पति/पत्नी के नाम में संयुक्त रूप से होगी (अर्थात् पति/पत्नी सह—स्वामी होंगे)। यदि आवेदक अविवाहित/तलाकशुदा/विवाहित/विवृत हैं तो उसे एक वनपत्र देना होगा कि वह विवाह/पुनर्विवाह के बाद अपने पति/पत्नी के सह—स्वामी बनायेगा। सह—स्वामी का अर्थ है आपूर्य योग्यता और रोजगार पर विचार किये जिन पति/पत्नी के 50% - 50% हिस्सेदार होंगे। व्यक्तिगत उम्मीदवारों को अपने पति/पत्नी के अलावा किसी के साथ हिस्सेदारी की अनुमति नहीं है।	
2	बीपीजीएल	देहरादून (राजनन्द नगर)	देहरादून	ओबीसी	शहरी/ ग्रामीण	2.5	2013-14	गैर-व्यक्तिगत आवेदक का अर्थ है सरकारी निकाय/ एजेंसियां, संगठित निकाय, सोसाइटीज़ पञ्जीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटीय, संबंधित राज्य सरकार के चैरिटी कमिशनर के साथ पंजीकृत चैरिटेबल ट्रस्ट, कम्पनीज़ अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित कम्पनियाँ।	
3	बीपीजीएल	देहरादून (सर्व चौक)	देहरादून	एसटी	शहरी/ ग्रामीण	2.5	2013-14	2. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत आवेदन कर सकते हैं। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवेदक और उसके/उसकी पति/पत्नी के नाम में संयुक्त रूप से होगी (अर्थात् पति/पत्नी सह—स्वामी होंगे)। यदि आवेदक अविवाहित/तलाकशुदा/विवाहित हैं तो उसे एक वनपत्र देना होगा कि वह विवाह/पुनर्विवाह के बाद अपने पति/पत्नी के सह—स्वामी बनायेगा। सह—स्वामी का अर्थ है आपूर्य योग्यता और रोजगार पर विचार किये जिन पति/पत्नी के 50% - 50% हिस्सेदार होंगे। व्यक्तिगत उम्मीदवारों को अपने पति/पत्नी के अलावा किसी के साथ हिस्सेदारी की अनुमति नहीं है।	
4	बीपीजीएल	देहरादून (प्रेम नगर)	देहरादून	ओ	शहरी/ ग्रामीण	2.5	2013-14	3. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के प्रचालन के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ।	
5	बीपीजीएल	देहरादून (कलेमन्ट टाउन)	देहरादून	ओ	शहरी/ ग्रामीण	2.5	2013-14	क. एलपीजी विलेंडर भंडारण के लिए गोदाम। एलपीजी विलेंडरों के भंडारण के लिए मुख्य पेट्रोलियम विस्फोटक नियन्त्रक और विस्फोटक सुखा संग्रहन (पीईएसओ) द्वारा विवित अनुमतियाँ देना चाहिए। गोदाम के निर्माण के लिए व्यक्तिगत आवेदक का अर्थ है सरकारी निकाय/ एजेंसियां, संगठित निकाय, सोसाइटीज़ पञ्जीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटीय, संबंधित राज्य सरकार के चैरिटी कमिशनर के साथ पंजीकृत चैरिटेबल ट्रस्ट, कम्पनीज़ अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित कम्पनियाँ।	
6	बीपीजीएल	देहरादून (बाईपास पुलिस चौकी)	देहरादून	ओबीसी	शहरी/ ग्रामीण	2.5	2013-14	16. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत आवेदन कर सकते हैं। व्यक्तिगत आवेदक के मामले में, नियुक्ति पर, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवेदक और उसके/उसकी पति/पत्नी के नाम में संयुक्त रूप से होगी (अर्थात् पति/पत्नी सह—स्वामी होंगे)। यदि आवेदक अविवाहित/तलाकशुदा/विवाहित हैं तो उसे एक वनपत्र प्रदान किया जाएगा कि वह विवाह/पुनर्विवाह के बाद अपने पति/पत्नी के सह—स्वामी 50% - 50% हिस्सेदार होंगे। व्यक्तिगत उम्मीदवारों को अपने पति/पत्नी के अलावा किसी के साथ हिस्सेदारी की अनुमति नहीं है।	
7	बीपीजीएल	हरिद्वार (ज्वालापुर)	हरिद्वार	एसटी	शहरी/ ग्रामीण	2.5	2013-14	17. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के प्रचालन के लिए आवश्यक गोदाम। गोदाम का पास अपने स्वयं का व्यक्तिगत आवेदक का अर्थ है सरकारी निकाय/ एजेंसियां, संगठित निकाय, सोसाइटीज़ पञ्जीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटीय, संबंधित राज्य सरकार के चैरिटी कमिशनर के साथ पंजीकृत चैरिटेबल ट्रस्ट, कम्पनीज़ अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित कम्पनियाँ।	
8	बीपीजीएल	ऋषिकेश	देहरादून	ओ	शहरी/ ग्रामीण	2.5	2013-14	18. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के प्रचालन के लिए आवश्यक गोदाम। गोदाम का पास अपने स्वयं का व्यक्तिगत आवेदक का अर्थ है सरकारी निकाय/ एजेंसियां, संगठित निकाय, सोसाइटीज़ पञ्जीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटीय, संबंधित राज्य सरकार के चैरिटी कमिशनर के साथ पंजीकृत चैरिटेबल ट्रस्ट, कम्पनीज़ अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित कम्पनियाँ।	
9	बीपीजीएल	हरिद्वार (बहादरगढ़)	हरिद्वार	ओ	शहरी/ ग्रामीण	2.5	2013-14	19. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के प्रचालन के लिए आवश्यक गोदाम। गोदाम का पास अपने स्वयं का व्यक्तिगत आवेदक का अर्थ है सरकारी निकाय/ एजेंसियां, संगठित निकाय, सोसाइटीज़ पञ्जीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटीय, संबंधित राज्य सरकार के चैरिटी कमिशनर के साथ पंजीकृत चैरिटेबल ट्रस्ट, कम्पनीज़ अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित कम्पनियाँ।	
10	बीपीजीएल	मसूरी	देहरादून	ओबीसी	शहरी/ ग्रामीण	2.5	2013-14	20. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के प्रचालन के लिए आवश्यक गोदाम। गोदाम का पास अपने स्वयं का व्यक्तिगत आवेदक का अर्थ है सरकारी निकाय/ एजेंसियां, संगठित निकाय, सोसाइटीज़ पञ्जीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटीय, संबंधित राज्य सरकार के चैरिटी कमिशनर के साथ पंजीकृत चैरिटेबल ट्रस्ट, कम्पनीज़ अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित कम्पनियाँ।	
11	बीपीजीएल	हरिद्वार (शान्तिकुंज रोड)	हरिद्वार	ओ	शहरी/ ग्रामीण	2.5	2013-14	21. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के प्रचालन के लिए आवश्यक गोदाम। गोदाम का पास अपने स्वयं का व्यक्तिगत आवेदक का अर्थ है सरकारी निकाय/ एजेंसियां, संगठित निकाय, सोसाइटीज़ पञ्जीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटीय, संबंधित राज्य सरकार के चैरिटी कमिशनर के साथ पंजीकृत चैरिटेबल ट्रस्ट, कम्पनीज़ अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित कम्पनियाँ।	
12	बीपीजीएल	हरिद्वार (शिवालिक नगर)	हरिद्वार	एसटी	शहरी/ ग्रामीण	2.5	2013-14	22. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के प्रचालन के लिए आवश्यक गोदाम। गोदाम का पास अपने स्वयं का व्यक्तिगत आवेदक का अर्थ है सरकारी निकाय/ एजेंसियां, संगठित निकाय, सोसाइटीज़ पञ्जीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटीय, संबंधित राज्य सरकार के चैरिटी कमिशनर के साथ पंजीकृत चैरिटेबल ट्रस्ट, कम्पनीज़ अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित कम्पनियाँ।	
13	बीपीजीएल	लक्ष्मी	हरिद्वार	ओबीसी	शहरी/ ग्रामीण	2.5	2013-14	23. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के प्रचालन के लिए आवश्यक गोदाम। गोदाम का पास अपने स्वयं का व्यक्तिगत आवेदक का अर्थ है सरकारी निकाय/ एजेंसियां, संगठित निकाय, सोसाइटीज़ पञ्जीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटीय, संबंधित राज्य सरकार के चैरिटी कमिशनर के साथ पंजीकृत चैरिटेबल ट्रस्ट, कम्पनीज़ अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित कम्पनियाँ।	
14	बीपीजीएल	हल्द्वानी (इंदिरा नगर)	हल्द्वानी	ओ (जीपी)					